न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2015
प्रविष्टि दिनांक 26–02–2015

दुर्गा पुत्र हीरा जाति बैरवा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका ठिकरियाकंला तहसील देवली जिला टोंक राज0।

–..... आवेदक

बनाम

1–लादू पुत्र नेहनूलाल
2–कमला पत्नि लादू
जिला टोंक।
। जाति जाट निवासीयान ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील देवली
। जिला टोंक राज0

3–आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक राज0।

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवण्टन नियम 1970
विरूद्व आवण्टन आदेश प्रतिपक्षी नं01,2 दि0 05.02.2008

उपस्थिति : (1) श्री रामदेव बैरवा, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1व 2

निर्णय

दिनांक 02.02.2017

1– प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05–02–2008 को प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 1.09 हेक्टर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील देवली का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के आवण्टन को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी विपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। आवण्टन पत्रावली मॅगवाई गई। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल आवेदन पत्र, तस्दीक पटवारी, आवण्टन कमेटी की सिफारिश, आवण्टन आदेश, सुपुर्दगीनामा, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्र, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2005–06, 2004–05, 2047 एवं रसीद पेनल्टी संलग्न की है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 1व 2 की बहस सुनी गई।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में अंकित किया है कि आवण्टी को आवंटित ख0नं0 338 रकबा 1.09 हे0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील देवली आवंटन के दिन रिक्त भूमि नहीं थी अपितु उक्त भूमि पर सन 1965 पूर्व से ही आवेदक का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ख0नं0 338 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा के रूप में आवेदक को दिनांक 22.05.1965 को आवंटन की गई थी किन्तु आवंटन आदेश में लिपिकीय भूल से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

ख0नं0 338 व 333 जो कि आवण्टन की गई थी उसके स्थान पर ख0न्रं0 56 व 205 का अंकन हो गया, जिसकी जानकारी पटवारी हलका को दिये जाने पर जांच के दौरान पटवारी द्वारा गलत अंकन होना स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश की पुश्त पर उसी समय ख0नं0 338 रकबा 4.17 बीघा पर कब्जा सुपुर्द किया जाकर मौके पर काबिज रहने व काश्त करने के निर्देश दे दिये गये तथा आवण्टन आदेश में संशोधन कराये जाने का विश्वास दिया जाता रहा। आवण्टन आदेश में दुरूस्ती का दायित्व भी राजस्व कर्मचारियों का था, आवण्टीगण द्वारा गुप चुप तरीके से आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि का गलत आवण्टन करा लिया जिससे आवंटन फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन की परिधि में आता है। यह मात्र कागजी आवंटन है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक प्रोक्लोमेशन जारी नहीं किया न ही आवण्टन योग्य भूमि की सूची तैयार की गई, आवंटन मजमें आम में नहीं किया गया, आवेदक के आवंटन आदेश में ख0नं0 56 हरदेवा पुत्र हेमा व ख0नं0 205 भी अन्य की खातेदारी की भूमि है, आवंटन आदेश दि0 22.05.65 में इनका अंकन गलत रूप से हो गया है। पटवारी हलका द्वारा खनं0 333 व 338 बाबत आवंटन किये जाने बाबत गलत रिपोर्ट की है। नोशनल शेयर के आधार पर प्रतिपक्षीगण/आवण्टी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में नहीं आते है। अतः उक्त प्रतिपक्षी नं01व 2 को किया गया आवण्टन निरस्त किया जावे।

4— विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01व 2 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 338 का साबिक खसरा नंबर क्या था एवं रकबा कुल कितना बडा था, प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है, प्रार्थी को कभी भी ख0नं0 338 के साबिक नंबर में भूमि आवंटित नहीं की गई थी, दिनांक 22.05.65 को ख0नं0 338 में आवण्टन होने व कब्जा सुपुर्द करने का कथन सरासर झूंठा/मनगढन्त है।, सन् 1965 में ख0नं0 338 अस्तित्व में ही नहीं था क्योंकि यह हाल नंबर है जो सं0 2046 के भूप्रबन्ध के बाद अस्तित्व में आया है इसका पुराना खसरा नंबर 38 मि. था जिसमें प्रार्थी को कभी आवंटन नहीं हुआ, प्रार्थी ने ख0नं0 56 व 205 में ही आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उस पर नाम दुर्गा पुंत्र हीरा बैरवा का भरा हुआ है जबकि प्रार्थना पत्र के सत्यापन पर अगूंठा सांवल्या पुत्र हीरा बैरवा लिखा है, प्रार्थना पत्र दुर्गा का तथा सत्यापन सांवल्या का जो प्रथम दृष्टया मिथ्याव्यदेशन प्रकट करता है, ख0नं0 56 व 205 के बारे में ही रिपोर्ट पटवारी ली गई थी एवं आवंटन समिति द्वारा भी सारी प्रकिया उक्त खसरा नंबर के बारे में सम्पादित की गई थी, उक्त आवण्टन भी अवैध था इसी कारण आज तक रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है, प्रार्थी को ख0नं0 333 व 338 में आवंटन नहीं हुआ था, ऐसा कोई परिवर्तित आदेश संशोधित आदेश जारी नहीं हुआ था, केवल यह कथन कि पटवारी को इसकी जानकारी दे दी गई थी, मानने योग्य नहीं है, पटवारी के पास ऐसा करने का अधिकार भी नहीं है। ख0नं0 338 रकबा 1.09 हे0 सिवायचक भूमि थी जिसका विधिवत दि0 5.02.08 को प्रतिपक्षी सं0 1व 2 को भू—आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन कर कब्जा सुपुर्द किया था एवं प्रतिपक्षीगण के नाम रिकार्ड में खातेदारी अंकित की जा चुकी है, ख0नं0 338 रकबा 1.09 हे0 भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 द्वारा किसी भी प्रकार छल या कपट नहीं किया गया है, खातेंदारी मिलने के बाद 14(4) भू.आ. नियम 1970 के तहत आवंटन आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटन समिति ने बाद जांच विधिनुसार

Scanned by CamScanner

आवंटन किया है, आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं होने खारिज फरमाया जाकर प्रतिपक्षी नं0 1व 2 को किया गया आवण्टन बहाल रखा जावे। अपने कथनों की पुष्टि में रूलिंग्स आर.बी.जे. 2011 पेज 418–24, 601–606, आर.बी.जे. 2009 पेज 258–261, आर.बी.जे. 2010 पेज 608, आर.बी.जे. 2009 पेज 112 एच.सी., आर.बी.जे. 2009 पेज 201–204,789–90, आर.बी.जे. 2010 पेज 157–161, आर.बी.जे. 2011 पेज 524 एच.सी. उद्वरित की है।

5– अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1व 2 की बहस पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05–02–2008 को प्रतिपक्षी नं0 1व 2 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 1.09 हे0 भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर कदीमी से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, सार्वजनिक प्रोकलोमेशन जारी नहीं किया गया, मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की गई, भूमि आवण्टन योग्य नहीं थी, आवण्टन के समय भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था, वर्तमान में भी है, उसके बावजूद भूमि प्रतिपक्षी सं0 1व 2 को आवण्टित करदी गई एवं प्रतिपक्षी द्वारा आवण्टन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है, ये तथ्य प्रार्थी द्वारा सिद्व नहीं कर पाये है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01व 2 के द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन प्रार्थना भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा प्रतिपक्षी सं01व 2 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 05–02–2008 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी, प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर यदि मोजूद था तो उसे प्रश्नगत आवण्टन के वावत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत किया नहीं पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरियां व आवंटन आदेश उसको 1965 में किये गये आवंटन की है, आवंटन खसरा नं0 56 व 205 में किया गया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन 5.2.08 के विरूद्व आये है जिसका खसरा नंबर 338 है एवं अप्रार्थीगण सं0 1,2 को इसमें 1.09 हे0 का आवण्टन किया गया है, इस आवण्टन से प्रार्थी को कोई सरोकार नहीं है, इसका आवण्टन प्रार्थी को हुआ ही नहीं। सन् 1965 के आंवटन में प्रार्थी दुर्गा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र पर भी दुर्गा के हस्ताक्षर न होकर किसी सांवल्या पुत्र हीरा कोम चमार की अगुंष्ठ निशानी है इसलिए वह आवंटन भी संदेहास्पद है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता हैं। भूमि आवण्टन से पूर्व जहॉ रिक्त भूमि की सूची एंव उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन राजस्व अभियान 2008 में मजमेआम में किया गया है। अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किये गये उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 02.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner